न्यायालय :– श्रीमती आरती शर्मा, अनन्यतः विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, ग्वालियर (म.प्र.)

Registration No. SC/211/2022
Filing No. 20207/2022
CNR No. MP0701-025477-2022
Filing date- 11-10-2022

म0प्र0 शासन द्वारा,
आरक्षी केंद्र कंपू,
जिला–ग्वालियर (म.प्र.)।

.....अभियोजन

वि रू द्ध

रमन गॉधी पुत्र ताराचंद्र,
आयु–55 वर्ष,
निवासी–फ्लेट नंबर 201,
काशी मेंशन, ललितपुर
कॉलोनी, कंपू
जिला–ग्वालियर (म.प्र.)।

.....अभियुक्त

पुलिस थाना कंपू, जिला ग्वालियर के अपराध क्रमांक 266/2022 अंतर्गत धारा 509, भा.दं.सं. एवं धारा 11/12 पॉस्को एक्ट 3(1)(द)(ध), 3(2)(Va) एस.सी./एस.टी एक्ट से उद्भूत विशेष प्रकरण।

राज्य द्वारा : श्री अनिल मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक।

अभियुक्त द्वारा : श्री प्रतीक बारू, अधिवक्ता

// आ दे श //

(धारा 232 द0प्र0सं0 के अंतर्गत)

(आज दिनांक 07.03.2023 को पारित किया गया)

01. अभियुक्त पर दिनांक 06.06.2022 के समय 12:45 बजे अंतर्गत आरक्षी केंद्र कंपू ग्वालियर में अभियोक्त्री का अनुसूचित जाति का सदस्य होना जानते हुए 12 वर्ष से कम आयु की अभियोक्त्री की लज्जा का अनादरण करने के आशय से मुॅह पर हाथ रख, गंदे–गंदे इशारे एवं किस कर उसकी एकांततः का अतिक्रमण कर,

अभियोक्त्री का लैंगिक उत्पीड़न एवं स्पर्श का लैंगिक प्रकृति का कार्य करने के लिए धारा 509 भा0द0वि0, धारा 354क भा0द0वि0 एवं 11 सहपठित 12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (दो बार), भा.दं.सं. की धारा 354ए एवं धारा 3(2)(V)(क) तथा धारा 3(1)(W)(I) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अधीन आरोप है।

02. प्रकरण में स्वीकृत है कि (अ.सा.2) अभियोक्त्री (अ.सा.1) की माता है।

03. अभियोजन के अनुसार फरियादी (अभियोक्त्री की मॉ) एवं अभियोक्त्री ने थाने पर उपस्थित रिपोर्ट लेख करवायी थी कि फरियादी ललितपुर कॉलोनी में रहती है तथा मेंशन मल्टी निवासी समता जैन के यहॉ झाडू पोछे का काम करती है। दिनांक 06.06.2022 के दोपहर 12:00 बजे वह अभियोक्त्री के साथ काम पर गई थी, उसके साथ अभियोक्त्री उम्र 10 साल भी गई थी, जब वह अपना काम कर रही थी, उसी समय अभियोक्त्री बालकनी में लगे नल से पानी पीने गयी थी तो फ्लेट नंबर 201 में रहने वाले अभियुक्त रमन गांधी ने अभियोक्त्री को देखा और उसको देख कर मुॅह पर हाथ रख कर गंदे–गंदे इशारे करने लगा और अपने पास बुलाने लगा, अभियोक्त्री दौडकर फरियादी के पास आई और घटना बताई, फिर फरियादी थाना रिपोर्ट करने गई। अभियोक्त्री द्वारा की गई शिकायत के आधार पर पुलिस थाना कंपू के अपराध क्र. 266/2022 पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर बाद नक्शा मौका बनाया जाकर अभियुक्त की गिरफतारी उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त के विरुद्ध धारा 509 भादवि, धारा 354क भादवि एवं 11 सहपठित 12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (दो बार), भा. दं.सं. की धारा 354ए एवं धारा 3(2)(V)(क) तथा धारा 3 (1)(W)(I) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अधीन आरोप विरचित किये जाने पर अभियुक्त ने आरोपित अपराध की सत्यता से इंकार कर विचारण की वांछा की थी, जिसके आधार पर उसका अभिवाक् लेखबद्ध किया गया।

05. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

1. क्या अभिलेख पर अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता संबंधी कोई साक्ष्य विद्यमान है ?

—: विवेचना एवं निष्कर्ष :—

विचारणीय प्रश्न क्र. 1 :—

06. उक्त संबंध में अभियोक्त्री (अ.सा.1) ने अपनी आयु 12 वर्ष होना दर्शित कर प्रकट किया कि वह अभियुक्त रमन गांधी को नहीं पहचानती है। अभियोक्त्री ने दर्शित किया कि घटना एक वर्ष पुरानी होकर वह नल पर पानी भर रही थी, उसकी माता काम कर रही थी तभी बालकनी में एक अंकल खड़े थे जो उसको देखकर गंदे—गंदे इशारे कर रहे थे फिर उसने घटना अपनी मम्मी को बतायी थी फिर वह अपनी माता के साथ रिपोर्ट करने गयी थी। सूचक प्रश्न पूछने पर अभियोक्त्री ने अपनी जन्म दिनांक 09.06.2012 होना स्वीकार किया किन्तु न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त द्वारा घटना कारित करने के तथ्य से स्पष्ट इंकार किया है।

07. अभियोक्त्री की माता (अ.सा.2) ने भी अभियुक्त को पहचानने से इंकार किया। साक्षी ने अभियोक़्त्री की आयु 12 वर्ष होना दर्शित कर प्रकट किया कि अभियोक्त्री का जन्म दिनांक 09.06.12 का है। अभियोक्त्री की माता ने दर्शित किया कि घटना दिनांक को वह अभियोक्त्री के साथ काम करने गयी थी, जब वह काम कर रही थी, तब अभियोक्त्री उसके पास रोती हुयी आयी और बताया कि जब वह पानी पीने गयी थी तब बालकनी में खड़े अंकल उसे गंदे—गंदे इशारे कर रहे थे फिर उसने उस व्यक्ति के घर का दरवाजा खटखटाया, किंतु वह व्यक्ति बाहर नहीं निकला। अभियोक्त्री की माता का अभिकथन है कि तब उसने 100 नंबर पर पुलिस को फोन लगाया एवं पुलिस के साथ आकर थाने पर प्र.पी. 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करायी थी।

08. अभियोक्त्री एवं अभियोकत्री की माता ने यद्यपि घटना घटित होना दर्शित कर घटना का विवरण प्रकट किया है किंतु साक्षीगण ने इस तथ्य को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त द्वारा आरोपित घटना कारित की गयी थी। अनुसंधान के दौरान अभियुक्त की शिनाख्तगी कार्यवाही करवाया जाना अभियोगपत्र से दर्शित नहीं होता है और न ही अभियोजन साक्ष्य सूची में ऐसा कोई साक्षी अभिवर्णित है जिसके अभिकथनों के आधार पर अभियोक्त्री द्वारा घटना से इंकार करने के बावजूद आरोपित अपराध अभियुक्त द्वारा कारित किया जाना स्थापित किया जा सके।

09. उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त रमन गांधी की अपराध में संलिप्तता प्रकट नहीं होती है। अतः यह न्यायालय अभियुक्त रमन गांधी को धारा 232 द.प्र.सं. के अंतर्गत धारा 509 भादवि, धारा 354क भादवि एवं 11 सहपठित 12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (दो बार), भा.दं.सं. की धारा

354ए एवं धारा 3(2)(V)(क) तथा धारा 3 (1)(W)(I) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त करता है।

10. अभियुक्त पूर्व से प्रतिभूति पर होकर उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। अभियुक्त से अपेक्षा की जाती है कि वह धारा 437क दंप्रसं के अधीन अपील न्यायालय में स्वयं की उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु रुपये 10,000/– की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगें।

11. प्रकरण के विचारण के दौरान अभियुक्त द्वारा न्यायिक निरोध में व्यतीत की गयी अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0सं0 के तहत् पृथक् से प्रमाण पत्र निर्मित कर अभिलेख पर संलग्न किया जाए।

12. आदेश की एक प्रति धारा 365 द0प्र0सं0 के तहत विशेष लोक अभियोजक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट, ग्वालियर को प्रेषित किये जाने हेतु विशेष लोक अभियोजक के मेल आईडी पर प्रेषित की जावे।

आदेश खुले न्यायालय में टंकित, दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

सही/–
(श्रीमती आरती शर्मा)
अनन्यतः विशेष न्यायाधीश,
लैंगिक अपराधों से बालकों का
संरक्षण अधिनियम, ग्वालियर (म0प्र0)

मेरे निर्देश पर टंकित।

सही/–
(श्रीमती आरती शर्मा)
अनन्यतः विशेष न्यायाधीश,
लैंगिक अपराधों से बालकों का
संरक्षण अधिनियम, ग्वालियर (म0प्र0)